67

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याणसिंह भवन, रायपुर - 492001.

//आदेश //

रायपुर, दिनांक. 3/9/2010

क्रमांक 631/एफ-13-1/2010/34-2/02:- छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एतद् द्वारा विभाग के पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अप्रैल, 2010 में वित्तीय अधिकार पुस्तिका, कार्य विभाग नियमावली एवं भण्डार क्रय नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार विभाग के विभिन्न स्तर पर निविदाओं के त्वरित निराकरण के लिए "निविदा एवं क्रय समिति" का गठन किया गया था, उसे निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

1.	प्रमुख अभियंता स्तर पर :-	
1	प्रमुख अभियंता	अध्यक्ष
2	दो मुख्य अभियंता (शासन द्वारा नामांकित)	सदस्य
3	अधीक्षण अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.वि.,रायपुर	सदस्य सचिव
4	वित्त/लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.वि.,रायपुर	सदस्य
1.1	**निविदा निराकरण की समय-सीमा**	**निविदा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन**
2.	**परिक्षेत्र स्तर पर :-**	
1	मुख्य अभियंता (संबंधित)	अध्यक्ष
2	मुख्य अभियंता (संबंधित के अलावा प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित)	सदस्य
3	अधीक्षण अभियंता, (संबंधित)	सदस्य
4	अधीक्षण अभियंता अथवा कार्यपालन अभियंता कार्या. मुख्य अभियंता	सदस्य सचिव
5	वित्त/लेखा अधिकारी, कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.वि.रायपुर	सदस्य
2.1	**निविदा निराकरण की समय-सीमा**	**निविदा प्राप्त होने की तिथि से 21 दिन**
3.	**मण्डल स्तर पर :-**	
1	अधीक्षण अभियंता (संबंधित)	अध्यक्ष
2	अन्य मंडल के अधीक्षण अभियंता (मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित)	सदस्य
3	संबंधित खंड के कार्यपालन अभियंता,	सदस्य
4.	मण्डल कार्यालय में संलग्न अधिकारी (कार्यपालन/सहायक अभियंता)	सदस्य
5.	मंडल अधीक्षक	सदस्य सचिव
3.1	**निविदा निराकरण की समय-सीमा**	**निविदा प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन**
4.	**खंड स्तर पर :-**	
1	कार्यपालन अभियंता (संबंधित खंड)	अध्यक्ष
2	अन्य खण्ड के कार्यपालन अभियंता (अधीक्षण अभियंता द्वारा नामांकित)	सदस्य
3	संभागीय लेखाधिकारी	सदस्य सचिव
4.1	**निविदा निराकरण की समय-सीमा**	**निविदा प्राप्त होने की तिथि से 7 दिन**

5. विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे- हैण्डपंप योजनाओं/नल जल प्रदाय/स्पॉट सोर्स योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन/संधारण हेतु आवश्यक सामग्रियॉ, जो भण्डार क्रय नियम के अनुसार आरक्षित श्रेणी में है एवं जिनके दर सी.एस.आई.डी.सी. में उपलब्ध है, का क्रय, क्रय पर बेहतर नियंत्रण के लिए प्रमुख अभियंता स्तर पर उनके लिए निर्धारित वित्तीय सीमा के अंतर्गत किया जावेगा। ऐसी समस्त सामग्री जिनके सी.एस.आई.डी.सी. दर उपलब्ध नही है, उनका क्रय भण्डार क्रय नियम में दिये प्रावधानों के अनुरुप वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-।। में निर्धारित अधिकार अनुसार विभिन्न स्तर पर किया जावेगा।

अत्यावश्यक परिस्थितियों में दर अनुबंध पर उपलब्ध सामग्रियों पर क्रय अन्य स्तरों पर करने हेतु प्रमुख अभियंता की पूर्वानुमति से वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-।। में प्रत्यायेजित अधिकार सीमा तक किया जा सकेगा। ऐसे समस्त क्रयों की पूर्ण जानकारी अनिवार्यतः प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता को दी जावेगी।

Circular
F.No: 1